न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिनेश [illegible] बनाम [illegible] तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र 251A क्र.—39/2020	
17.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1616, 1617, 1618, 1621, 1622/2062 कुल किता 5 कुल रकबा 3.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 1203, 1212, 1213, 1258, 1674, 1692/2075, 1694, 1695, 1698 कुल किता 9 कुल रकबा 5.71 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 1671 रकबा 1.20 हैक्टर गैर मुमकीन नाला व खसरा नम्बर 1697 रकबा 1.55 हैक्टर सिवायचक काबिज काश्त ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा में से होकर नजरी नक्शा के अनुसार चला आ रहा है। जिसे राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कायम करवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 6000/रीडर/16 दिनांक 17.10.2016 के द्वारा रिपोर्ट व प्रस्ताव चाहे जाने पर पटवारी हल्का कल्याणपुरा व भू.अ.निरीक्षक थोई के द्वारा खसरा नम्बर 1697 में प्रस्तावित रास्ता की भूमि 152 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 608 वर्गमीटर की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2017 को निर्णय पारित कर दिया तथा उक्त 608 वर्गमीटर भूमि का 54391/— रूपये राज्य सरकार के खाते में जमा करवा दिये गये। जिसके आधार पर पटवारी हल्का के द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा न[illegible]/1 व 1695/1 तथा खसरा नम्बर 1616, 16[illegible] 1618 को रास्ते से जोड़ने के लिए खसरा न[illegible]1695/1 से होकर खसरा [illegible] मांग की गई थी जबकि पटवारी हल्का द्वारा सही रास्ते का अंकन नहीं कर खसरा नम्बर 1695 के दक्षिणी तरफ का अलग तरीके से नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया गया जिसे दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनेश वत्स बनाम तहसीलदार श्री.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थनापत्र 251A मु.न. -39/2020

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के द्वारा दिनांक 19.10.2020 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः अपीलान्ट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्राप्त करें तथा उभयपक्ष को सुनकर लघुत्तम रास्ते बाबत गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करने बाबत निर्णय दिनांक 19.10.2020 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पुनः दिनांक 29.12.2020 को मौका देखा जाकर मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 2894/भू.अ./2020 दिनांक 29.12.2020 को न्यायालय में भिजवाई जा चुकी है। उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे को दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई व बहस पर सगौर मनन किया गया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071, 2072–2075, नक्शा ट्रेस एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांकित 29.12.2020 एंव माननीय [illegible] द्वारा अपील संख्या 90/2020 [illegible] दिनेश वत्स बनाम् भूमिधारी [illegible] में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2020 [illegible] किया गया। [illegible] स्पष्ट है कि उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पुनः दिनांक 29.12.2020 को मौका देखा जाकर मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त जरिये पत्रांक 2894/भू.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

/2020 दिनांक 29.12.2020 के सलंग्न नजरी नक्शा व पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2017 की पालना में नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम में काफी भिन्नता होना प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट की फर्द दिनांक 29.12.2020 में वर्तमान आज दिनांक की मौके की स्थिति अनुसार दर्शित रास्ते के नजरी नक्शा का रकबा 0.0504 हैक्टर होता है जबकि पूर्व में रास्ते हेतु की गई तरमीम का रकबा 0.0608 हैक्टर होता है। जिसका तुलनात्मक अध्ययन/विवेचन करने पर वर्तमान में मौके पर अवस्थित रास्ते का रकबा 0.0104 हैक्टर कम होने से रास्ता लघुत्तम होना स्पष्ट प्रकट होता है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी लघुत्तम रास्ते बाबत गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.12.2020 को भिजवाई गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में की गई है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर० टी० एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2017 को अपास्त किये जाने से पूर्व में दिये गये निर्णय दिनांक 25.01.2017 की पालना में नक्शा व रिकार्ड में की गई तरमीम को [illegible] की स्वीकृति दी जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2894/भू.अ./2020 दिनांक 29.12.2020 के सलंग्न प्राप्त फर्द [illegible] दर्शित वर्तमान में आज दिनांक की मौके की स्थिति अनुसार रास्ते के नजरी नक्शा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर नक्शे को दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	नक्शे को दुरूस्त किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हों। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में छोड़े गये रास्ते के प्रयोजनार्थ 608 वर्गमीटर भूमि का डी.एल.सी. दरों से मूल्यांकन कर राज्यकोष में जमा करवाई गई राशि में से वर्तमान में रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि 504 वर्गमीटर ही होने से शेष बची 104 वर्गमीटर भूमि का कोई रिफण्ड इत्यादि प्रार्थी को देय नहीं होगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.19 13:41:19 IST
Reason: SelfAttested